UPET010003692014

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 01, एटा।

उपस्थितः मनीषा,उच्चतर न्यायिक सेवा,J.O.code UP 6137

सत्र परीक्षण संख्या-275 सन् 2014

उ०प्र० राज्य

प्रति

सतीश उर्फ जीतू पुत्र राजाराम निवासी करहला थाना जलेसर, एटा।

अ०सं०–219/2014
धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं०
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
व वैकल्पिक धारा 302/34 भा०द०स०
थाना–जलेसर, जिला–एटा।

एवं

UPET010044562022

सत्र वाद संख्या-594 सन् 2022

उ०प्र० राज्य

प्रति

श्रीमती नेकवती पत्नी राजाराम निवासी करहला थाना जलेसर, एटा।

अ०सं०–219/2014
धारा–498 ए, 304 बी भा०दं०सं०
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
व वैकल्पिक धारा 302/34 भा०द०स०
थाना–जलेसर, जिला–एटा।

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.06.15 11:26:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

1.	**अभियोजक**	**उत्तर प्रदेश सरकार**
2.	प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
3.	अभियुक्त	सतीश उर्फ जीतू एवं श्रीमती नेकवती
4.	प्रतिनिधित्व	श्री कैलाश चन्द्र एड.
5.	घटना की तिथि	16-04-2014
6.	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की तिथि	17-04-2014
7.	आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान की तिथि	16-07-2014
8.	सत्र सुपुर्दगी की तिथि	16-08-2014
7.	आरोप विरचित किये जाने की तिथि	30-07-2015
8.	साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	20-08-2015
9.	बयान धारा 313 दं०प्र०स०	06-05-2026
10.	निर्णय की तिथि	15-06-2026
11.	निर्णय परिणाम	दोषसिद्ध

<u>निर्णय</u>

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद का आरम्भ वादी मुकदमा थान सिंह द्वारा सम्बंधित थाने पर दी गयी, तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर अभियुक्तगण सतीश, श्रीमती नेकवती के विरूद्ध मु०अ०स० 219/2014 अंतर्गत धारा 498ए,304बी भा०द०स० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये जाने एवं बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण सतीश उर्फ जीतू व नेकवती के विरूद्ध साक्ष्य पाते हुए धारा 498ए, 304बी भा०द०स० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "आज से करीब 07 वर्ष पूर्व मेरी पुत्री सुषमा की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सतीश पुत्र राजाराम निवासी गांव करहला कासिमपुर, थाना जलेसर, जिला एटा के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार

दान दहेज देकर की थी, किन्तु शादी के कुछ दिन बाद से ही उक्त सतीश व उसका पिता राजाराम पुत्र मेवाराम एवं उसकी माँ श्रीमती नेकवती पत्नी राजाराम तरह-तरह से मेरी पुत्री को मोटर साईकिल एवं एक लाख रूपया की माँग कर परेशान करने लगे तथा दिनांक 16-04-2014 को रात 11:00 बजे उक्त तीनों लोगों ने मिलकर मेरी पुत्री को फांसी देकर मार दिया तथा मारने के बाद आग लगाने की कोशिश की, किन्तु गांव में जगार हो जाने के कारण उक्त सभी व्यक्ति भाग गये। गांव वालों की सूचना पर मैं प्रार्थी गांव करहला कासिमपुर आया और देखा। जिसकी सूचना श्रीमानजी को दे रहा हूँ, अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर **प्रदर्श क-1** के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण सतीश, राजाराम व श्रीमती नेकवती के विरूद्ध थाना जलेसर जिला एटा पर मु०अ०स० 219/2014 अंतर्गत धारा 498 ए,304 बी भा०द०स० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दिनांक 16-04-2014 को समय 11:00 बजे, के आधार पर दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा जी०डी०संख्या-III पर दिनांक 17-04-2017 को समय 06:30 AM पर किया गया।

4. प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी डी.एस.गर्ब्याल द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया एवं वादी व साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण सतीश व श्रीमती नेकवती के विरूद्ध साक्ष्य पाते हुए धारा 498 ए,304 बी भा०द०स० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि० एटा द्वारा दिनांक 16-07-2014 को संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दिनांक 16-08-2014 को सत्र सुपुर्द किया गया,जिस पर सत्र परीक्षण **संख्या-275/2014 राज्य बनाम सतीश उर्फ जीतू** के रूप में पंजीकृत किया गया।

5. दौरान विचारण अभियुक्त नेकवती के अनुपस्थित होने के कारण सहअभियुक्त सतीश उर्फ जीतू की पत्रावली से अभियुक्ता नेकवती की पत्रावली दिनांक 26-07-2022 को पृथक की गयी, जिस पर सत्र वाद **संख्या-594/2022 राज्य बनाम नेवकती** के रूप में पंजीकृत किया गया। अन्यत्र न्यायालय से अन्तरण द्वारा उपरोक्त दोनों मुकदमा इस न्यायालय को परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ है।

6. विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 30-07-2015 को अभियुक्तगण सतीश उर्फ जीतू व श्रीमती नेकवती पर धारा-498 ए,304 बी भा0 द0 सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302/34 भा०द०स० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, अभियुक्तगण ने दोषी होने के अभिवचन से इंकार किया एवं परीक्षण की याचना की।

7. उपरोक्त दोनों पत्रावलियाँ एक ही घटना व एक ही अपराध संख्या से सम्बंधित होने के कारण दौरान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 02-09-2022 को दोनों सत्र परीक्षण की पत्राविलयों को समेकित किया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये:-

क्र.स.	**साक्षीगण**	**अभियोजन साक्षी का नाम**
01.	पी०डब्लू-1	श्रीमती बृह्मा देवी (मृतका माता)
02.	पी०डब्लू-2	सुघड़ सिंह (मृतका चाचा)
03.	पी०डब्लू-3	सेवानिवृत्त डॉ० नरेश सिंह तोमर
04.	पी०डब्लू-4	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक ताहिर अली
05.	पी०डब्लू-5	सेवानिवृत्त तहसीलदार सर्वरीश मिश्र
06.	पी०डब्लू-6	हेड कॉ० शिवपाल सिंह

8. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी है।

क्र.स.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**
01.	तहरीर वादी	प्रदर्श क-1
02.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क-2
03.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-3
04.	जी०डी०कायमी	प्रदर्श क-4
05.	पंचायतनामा	प्रदर्श क-5
06.	पुलिस फार्म-13	प्रदर्श क-6
07.	फोटो नाश	प्रदर्श क-7
08.	सी.एम.ओ०चिटठी	प्रदर्श क-8
09.	नक्शानजरी	प्रदर्श क-9
10.	आरोपपत्र	प्रदर्श क-10

9. <u>पोस्टमार्टम रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः-</u>

मृत्यु पूर्व चोटें-

I. बाहरी **चोट नं-01** खुरचट 1cmX1cm जो चेहरे के बाँयी आँख से 3cm नीचे थी।

II. **चोटे नं०-02** खुरचट 2cmx2cm जो कि ठोडी में बाँयी ओर थी।

III. **चोट नं०-03** मृत्यु पश्चात का फफोला 2cmx2 cm जो कि गर्दन के बाँयी ओर सामने की तरफ था।

IV. **चोट नं०-4** खुरचट 3cmx2 cm जो कि बाँयी घुटने पर था।

V. **चोट नं०-05** मृत्यु पश्चात का फफोला 3cm x 2cm जो बाँये पैर पर बाँयी घुटने से 2-1/2 cm नीचे था।

VI. **चोट नं०-6** मृत्यु पूर्व जलने के निशान व फफोले जो कि बिन्दुओं के तरह थे, जो कि बाँयी पैर पर बाँयी घुटने से 10cm नीचे थे।

VII. **चोट नं०-7** खुरचट 3cmx2cm जो दाहिने घुटने पर थे।

VIII. **चोट नं०-8** खुरचट 2x2cm जो दाहिनी कलाई से 2-1/2 cm से नीचे थी।

IX. **चोट नं०-9** मृत्यु पश्चात का फफोला 1.5cm x 1.5 cm जो बाँये हाथ के पृष्ठ भाग पर था।

X. **चोट नं०-10** मृत्यु पूर्व का फफोला 1cmx1cm जो बाँयी हाथ के पृष्ठ भाग पर जो चोट नं०-9 पर लगा था।

XI. **चोट नं०-11** चोट खुरचट 1cmx1cm जो कि दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर थे।

अन्दरूनी चोटेः-

1-गर्दन सिरायें कंजेस्टेड थी और त्वचा के नीचे रक्त मौजूद था।

2-गर्दन की फेशिया की पर्त पर खून के थक्के मौजूद थे।

3- श्वास नली कंजस्टेड थी।

4- हाइड हड्डी टूटी हुई थी।

10. नाखून साइनूल्ड थेअभियोजन द्वारा अपने केस को साबित करने हेतु बतौर साक्षी **पी०डब्लू०-1 श्रीमती बृह्मा देवी** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "उसने अपनी बेटी की शादी दिनांक 21-06-2008 को सतीश पुत्र राजाराम निवासी ग्राम करहला थाना जलेसर जिला एटा के साथ हिन्दु रीति रिवाज से अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही सुषमा का पति सतीश, ससुर राजाराम और सास नेकवती अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल व एक लाख रुपये की माँग को लेकर सुषमा को तंग व परेशान करते थे। सुषमा जब भी उसके पास घर आती थी, तो उसे व उसके घरवालों को सतीश व उसके माँ-बाप के द्वारा अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल व एक लाख रुपये की माँग व तंग करने के बावत प्रताड़ित करने की बात सदैव बताती थी। वह व उसके घर वाले बार-बार सुषमा को समझा देते थे कि जब व्यवस्था हो जायेगी,तो सतीश व उसके घर वालों की व्यवस्था कर देंगे। उसने व उसके घर वालों ने सतीश व उसके घर वालों के द्वारा की जा रही अतिरिक्त दहेज की माँग की शिकायत कहीं नही की थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विवाद बढ़े।

दिनांक 16-04-2014 की रात करीब 11:00 बजे सुषमा के पति सतीश, सास नेकवती व ससुर राजाराम ने अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी व होने की वजह से उसकी पुत्री सुषमा की हत्या कर दी। जिसकी सूचना अगले दिन सुबह मिलने पर वह अपने घर वालों के साथ सुषमा के घर करहला गयी। वहाँ सुषमा की लाश पड़ी हुई थी तथा सुषमा के शरीर पर चोटे थी। इस घटना की तहरीर थाना जलेसर जिला एटा उसके पति थान सिंह ने दी थी। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने उससे पूछताछ कर उसके बयान अंकित किये थे और उसने सारी बातें विवेचक को बताई थी।"

11. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि "शादी से पहले शादी में देने के लिए कोई दहेज तय नहीं हुआ,जो कुछ दिया वह अपनी हैसियत के अनुसार दिया। शादी हँसी-खुशी से हुई थी,ससुराल से शादी में आए सभी बाराती शादी में की गई खातिर से बहुत खुश होकर गए। यह शादी राजू ने तय कराई थी। वह राजू मुल्जिमान के गांव के रहने वाले थे। हम लोग राजू को पहले से जानते थे। राजू ने हम लोगों को लड़के व उसके घर वालों व घर के संबंध में सब कुछ बता दिया था। हम लोगों ने सब कुछ संतुष्ट होकर शादी की थी। उसकी लड़की की मृत्यु की सूचना उसे राजू ने दी थी। मृत्यु की सूचना लड़की की मृत्यु के दूसरे दिन मिली थी। दूसरे दिन सुबह 2-3 बजे मिली थी। यह सूचना उसके गांव के लड़के श्रीपाल ने हम लोगों को दी थी। सूचना मिलने के आधे घंटे बाद हम लोग लड़की के ससुराल के लिए चल दिया थे। उसके साथ गांव के रूप सिंह, सुघड़ सिंह आदि बहुत से लोग थे। हम लोग मैक्स पिकअप से चले थे। हम लोगों को अपने गांव से लड़की के घर पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लगा था। सुबह हम लोग चार 4:30 बजे लड़की के घर पहुंच गए। उस समय लड़की रसोई के पास जमीन पर पड़ी थी। रसोई घर के अंदर थी। वह नहीं बता सकती कि लड़की के घर का सदर दरवाजा किस दिशा में था। रसोई घर के सदर दरवाजे के सामने थी। रसोई के सामने कोई बिना पटा कमरा नहीं था, लेकिन खुली हुई जगह थी। सतीश के घर में कोई भी

कमरा पटा हुआ नहीं था। वह गांजा व चरस का आदि हो गया था और इस आदत के कारण उसने अपने घर तोड़ दिया था। उसे नहीं पता कि जब लड़की की मृत्यु हुई तब वह कोई काम करता था या नहीं। उसे नहीं पता कि उसका बाप क्या काम करता था। वह उनके यहां नहीं जाती थी। उसके घर के लोग जाते थे, जो घर के लोग जाते थे, उन्होंने ही बताया था कि घर बार सब लड़के ने तोड़ दिया है। वह यह नहीं बता सकती कि उसकी लड़की के ससुराल वाले घर के पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या-क्या था। उसे जानकारी है कि यह मकान गांव के बीचो-बीच में है। उसे पड़ोसियों की कोई जानकारी नहीं है। लड़की की लाश देखने के बाद हम लोग रिपोर्ट लिखने के लिए थाने चले गये। वहां से निकलते ही हमको पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में ले गए। वह उनके साथ लड़की के गांव वापस आई। घर पर गांव वाले नहीं थे। वह सब अपने घरों में सो रहे थे। पुलिस वालों के आने के बाद गांव वाले आए। राजू और उनके घर वाले आए थे। राजू, लड़की के ससुराल वालों के भी रिश्तेदार थे। पुलिस के आने पर वह सभी इकट्ठे हो गए। उसने लड़की के शरीर पर कोई चोट नहीं देखी। वहां हम लोग 2-2:30 घण्टा रुके। घर वाले पुलिस के आने पर वहां से भाग गए। मौके पर केवल उसके दामाद की मम्मी थी। उन्होंने सारी घटना बताई। तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया, जितनी देर हम लोग रुके उतनी देर पुलिस वाले भी रुके। पुलिस वालों ने वहां पर केवल सतीश की मम्मी से ही पूछताछ की। हम लोगों से कुछ नहीं पूछा। हम लोग रोने- पीटने में लगे थे। पुलिस वालों ने वहां लाश की लिखा पढ़ी की थी। लाश को वहां से उठाकर हमारी गाड़ी में रखकर हम लोग एटा ले आए, फिर कहा कि पुलिस वाले लेकर आए थे। पुलिस वाले उसकी गाड़ी में लेकर आए थे। हम लोग सब चीरघर आए। उसे ध्यान नहीं है कि उसकी चीड़-फाड़ में कितना समय लगा। ये उसे ध्यान है कि उसकी लड़की की लाश उसे 6-7 बजे दी गई थी। वह लाश लेकर अपने गांव आ गई थी। उसे नहीं पता कि उसके पति कब थाने गए थे। वह तो रोने पीटने में लगी थी। उसके साथ लड़की के ससुराल वाले लाश को लेकर चीरघर नहीं आए थे तथा वह

लोग बाद में भी नहीं आए थे। इस घटना के संबंध में पुलिस वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। उसके पति से की। आज वह घटना के बारे में वह पहली बार बता रही है। उसके पति से कब और कहां पुलिस वालों ने पूछताछ की, वह नहीं बता सकती। पुलिस ने लाश की लिखा पढ़ी उसके सामने की। उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस वालों ने उस लिखा पढ़ी पर कोई हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा कराया था या नहीं। वह पढ़ी-लिखी नहीं है, वह अतिरिक्त का मतलब नहीं जानती है। वह सदैव का मतलब नहीं जानती है। तहरीर क्या होता है वह नहीं जानती है। वह विवेचक का मतलब भी नहीं बता सकती। वह यह नहीं बता सकती कि यह शब्द उसके बयान में कैसे लिखे गए। वह नहीं बता सकती कि आज कल कौन सी सन चल रही है। उसकी लड़की की शादी हुए 14 साल हो गए हैं। वह सन नहीं बता सकती। 6 साल के अंदर ही उसकी हत्या कर दी। वह कौन सी सन थी। वह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि घटना वाली रात को बदमाश घर में घुस आए हों और लड़की के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी हों।"

12. अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्लू०-2 सुघड़ सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "मृतका सुषमा उसकी सगी भतीजी थी। सुषमा की शादी उसके भाई थान सिंह ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर सतीश उर्फ जीतू पुत्र राजाराम निवासी करहला थाना जलेसर जिला एटा के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 21-06-2008 को की थी। शादी के कुछ समय के बाद से ही उसकी भतीजी सुषमा को उसका पति सतीश उर्फ जीतू, सास नेकवाती व ससुर राजाराम अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल व एक लाख रुपये की मांग को लेकर विभिन्न प्रकार से तंग व परेशान करने लगे थे। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सतीश व उसके माता-पिता द्वारा सुषमा को प्रताड़ित करने वाली बात सुषमा ने मायके आने पर कई बार उसे व उसके भाई थान सिंह व अपनी मम्मी ब्रह्मा देवी व अन्य घर वालों को बताई थी। हम लोगों ने हर बार उसे समझा बुझा दिया था। दिनांक 06-04-2014 की रात्रि में सतीश व सतीश की मां

व पिता ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण सुषमा की हत्या कर दी। जिसकी सूचना मिलने पर वह अपने घर वालों के साथ ग्राम करहला गया था। वहां सुषमा उसे मृत अवस्था में मिली थी। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध फोटो क्रमशः 14अ/1 व 14अ/2 को देखकर कहा कि यह दोनों फोटो उसकी भतीजी सुषमा के दहेज हत्या के बाद की हैं। इन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1 व वस्तु प्रदर्श-2 डाले गए। उसके सामने सुषमा का पंचायत नामा भरा गया था तथा उसे पंचांग भी नियुक्त किया गया था तथा उसकी व अन्य पंचों की राय में सुषमा की मृत्यु सुषमा के शरीर पर आई चोटों के कारण हुई थी तथा साक्षी ने पंचायत नामा कागज संख्या 10अ/2 लगायत 10अ/4 पर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। घटना की तहरीर थाना जलेसर पर उसके भाई थान सिंह के द्वारा दी गई थी। थान सिंह की मृत्यु हो चुकी है। यह तहरीर थान सिंह ने अन्य व्यक्ति से लिखवा कर दी थी। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध मूल तहरीर कागज संख्या 5अ को देखकर कहा कि इस पर बने हस्ताक्षर उसके भाई के हैं। वह उनके हस्ताक्षर को भली भांति पहचानता है। उसने उन्हें हस्ताक्षर करते हुए देखा है। इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध शादी कार्ड कागज संख्या 13अ को देखकर कहा कि जो कार्ड सुषमा की शादी में छपे थे, यह कार्ड उनमें से एक है। जिस पर वास्तु प्रदर्श-3 डाला गया। घटना के संबंध में विवेचक ने उससे पूछताछ कर उसके बयान अंकित किए थे।"

13. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि "दिनांक 06-04-2014 की रात को सुषमा की मौत की सूचना मिली थी। उसे नाम ध्यान नहीं है कि सूचना किसने दी थी। शादी के मझिया ने रात को सूचना दी थी। समय का सही ध्यान नहीं है। रात्रि के एक-दो बजे के बीच में सूचना मिली थी। हम लोग तुरंत तैयार होकर घर से चल दिए थे। उसके साथ 20-25 आदमी थे। गाड़ी करके ले गए थे। ट्रैक्टर से गए थे। वह पढ़ा लिखा नहीं है केवल दस्तख़्त बना लेता है। हम लोग कितने बजे पहुंचे समय का ध्यान नहीं है। हम लोग करहला रात में ही पहुंच

गए थे। जब हम पहुंचे तब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। जब वह पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी भतीजी की हत्या हो गई थी। उसकी लाश आंगन में चारपाई पर पड़ी थी। उसके साथ उसे उसके भाई रूप सिंह, थान सिंह, मामी ब्रह्मा देवी व अन्य लोग साथ थे। उस समय तक पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। पुलिस को लेने उसके भाई गए थे। लाश वहीं घटना स्थल पर ही थी। उसके भाई रिपोर्ट को गए थे। सूर्योदय के बाद ही पुलिस मौके पर आई थी। लाश को पुलिस ले गई थी। हम लोग साथ में थे। उसकी ही गाड़ी में पुलिस वाले लाश को ले गए थे, फिर पुलिस वालों ने थाने पर पहुंच कर लिखा पढ़ी की थी। थाने पर उसने दस्तखत नहीं किए थे। वह थाने पर नहीं गया था। उसके भाई थाने पर गए थे। वह थाने पर बिल्कुल नहीं गया था। दरोगा जी ने उस दिन उसका बयान नहीं लिया था। बाद में दरोगा जी ने बयान लिया था उसने मुल्जिमानों का घर देखा है। वह पहले भी कई बार जा चुका है। उनके घर में एक कमरा पटा हुआ था, बैठक पटी हुई थी। रसोई का उसे ध्यान नहीं है पटी थी या नहीं पटी थी। उसे दिशाओं का ध्यान नहीं है, चीरघर शव विच्छेदन पर वह गया था। वह अंत तक जब तक चिड़-फाड़ हुई थी वहीं पर वह रहा था शव विच्छेदन गृह पर करीब 3 घंटे लगे होंगे मुल्जिमान के घर का सदर दरवाजा गांव में खरंजे से मिलती हुयी गली में खुलता था। हत्या हुए लगभग 06 साल हो गए होंगे। उसे यह जानकारी है कि अभियुक्तगण शादी के बाद सुषमा से अलग से दहेज मांगते थे। इस शादी में वह सम्मिलित था उसके घर की ही शादी थी। यह कहना गलत है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तब सुषमा की लाश चारपाई पर नहीं पड़ी हो, बल्कि जमीन पर पड़ी हो। पुलिस जब मौके पर आई थी, उस वक्त उसके बयान नहीं लिए थे। जब पुलिस मौके पर आई थी तब वहां काफी भीड़-भाड़ हो गई थी। उस समय करहला के भी काफी लोग मौके पर मौजूद थे। जब वह वहां पहुंचा तो सुषमा की लाश कपड़े से ढकी हुई नहीं थी। वह पंचायत में कभी करहला गांव नहीं गया था। सुषमा ने भी उसे सतीश व उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज मांगने वाली बात बताई थी। उसे कोई जानकारी नहीं है

कि सतीश नशे का आदि हो गया था और इसी वजह से उसने अपना मकान भी तोड़ा हो। जब वह मौके पर पहुंचा तब सतीश की मां मौके पर मिली थी सतीश नहीं मिला था। उसने कभी यह जानकारी नहीं की, कि सतीश का पूरा मकान बिना पटा हुआ है। शादी के एक-दो महीने बाद इन्होंने अतिरिक्त दहेज मांगना शुरू कर दिया था। वह थाने नहीं गया था बल्कि उसके भाई और कुछ गांव के लोग थाने गए थे। उसे यह जानकारी नहीं है कि उसके भाई व अन्य गांव के लोगों के थाने जाते समय रास्ते में ही उन्हें पुलिस मिल गई हो और सभी लोग वापस लौट आए हो व राजू और श्रीपाल को नहीं जानता है। यह कहना गलत है कि पुलिस के आने तक घटना स्थल पर करहला का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं हो। यह कहना भी गलत है कि हम लोग अपने गांव से कैंटर या ट्रैक्टर से न आए हों, मैक्स पिकअप गाड़ी से आए हों। सुषमा की शादी में जो सतीश ने मांगा था वह दिया गया था। उसे इस समय ध्यान नहीं है कि क्या-क्या शादी में दिया गया था। यह कहना गलत है कि श्रीपाल व राजू उसके ही गांव के हैं। वह नहीं बता सकता कि पंचायतनामे के समय कौन-कौन अधिकारी मौजूद थे। तहरीर उसके भाई ने किसी और से लिखवा कर दी थी। यह कहना गलत है कि सुषमा की मृत्यु सतीश व उसके परिवार वालों ने न की हो अन्य लोगों ने की हो।

14. अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्लू०-3 डॉ० नरेश सिंह तोमर** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "दिनांक 17-04-2014 को चोट फिजीशियन जिला चिकित्सालय एटा के पद पर तैनात था। इसी दिनांक को मृतका श्रीमती सुषमा देवी पत्नी सतीश जाटव उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी करेला कासिमपुर थाना जलेसर जिला एटा का परीक्षण किया जिनका शव कॉ० 570 अवनीश एवं कॉ० 234 योगेश कुमार थाना जलेसर जिला एटा द्वारा 10 प्रपत्रों के साथ लाया गया था। अन्तः परीक्षण, वाह्य परीक्षण मृत्यु पश्चात की अकड़न पूरे शरीर पर थी। आँखे बन्द थी। दोनों फेफड़े लीवर, तिल्ली, गुर्दे और मस्तिष्क कंजेस्टेड, गर्भाशय में गर्भ का कोई चिन्ह नहीं था।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें-</u>

XII. बाहरी **चोट नं-01** खुरचट 1cmX1cm जो चेहरे के बाँयी आँख से 3cm नीचे थी।

XIII. **चोटे नं०-02** खुरचट 2cmx2cm जो कि ठोडी में बाँयी ओर थी।

XIV. **चोट नं०-03** मृत्यु पश्चात का फफोला 2cmx2 cm जो कि गर्दन के बाँयी ओर सामने की तरफ था।

XV. **चोट नं०-4** खुरचट 3cmx2 cm जो कि बाँयी घुटने पर था।

XVI. **चोट नं०-05** मृत्यु पश्चात का फफोला 3cm x 2cm जो बाँये पैर पर बाँयी घुटने से 2-1/2 cm नीचे था।

XVII. **चोट नं०-6** मृत्यु पूर्व जलने के निशान व फफोले जो कि बिन्दुओं के तरह थे, जो कि बाँयी पैर पर बाँयी घुटने से 10cm नीचे थे।

XVIII. **चोट नं०-7** खुरचट 3cmx2cm जो दाहिने घुटने पर थे।

XIX. **चोट नं०-8** खुरचट 2x2cm जो दाहिनी कलाई से 2-1/2 cm से नीचे थी।

XX. **चोट नं०-9** मृत्यु पश्चात का फफोला 1.5cm x 1.5 cm जो बाँये हाथ के पृष्ठ भाग पर था।

XXI. **चोट नं०-10** मृत्यु पूर्व का फफोला 1cmx1cm जो बाँयी हाथ के पृष्ठ भाग पर जो चोट नं०-9 पर लगा था।

XXII. **चोट नं०-11** चोट खुरचट 1cmx1cm जो कि दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर थे।

<u>अन्दरूनी चोटेः-</u>

1-गर्दन सिरायें कंजेस्टेड थी और त्वचा के नीचे रक्त मौजूद था।

2-गर्दन की फेशिया की पर्त पर खून के थक्के मौजूद थे।

3- श्वास नली कंजस्टेड थी।

4- हाइड हड्डी टूटी हुई थी।

नाखून साइनूल्ड थे, मृत्यु का समय पोस्टमार्टम के समय से 24 घण्टे होने का समय सम्भव है। मृत्यु का कारण दम घुटने से जिसका कारण गला दबाने से होना सम्भव है। मृतका के शरीर पर एक ब्लाउज, एक पेटीकोट, एक कच्छा, एक नाक़

की लौंग, चार विच्छुआ और चूड़ियों के टुकड़े कुल 06 अदद पाये गये। आन्तरिक चोटों में जो चोट नं०-4 है। वह सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गला दबाने से आना सम्भव है। यह मृतका का शव परीक्षण उसके व डॉ० राजीव मोदी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉ० राजीव मोदी ने रिपोर्ट अपने हस्तलेख में तैयार की थी, जिस पर उसके व डॉ०राजीव मोदी के हस्ताक्षर हैं। डॉ०राजीव मोदी उसके साथ कार्यरत रहे। उसने उनको पढ़ते लिखते देखा है तथा डॉ० राजीव मोदी के लेख व हस्ताक्षर को भली भाँति पहचानता है। डॉ० राजीव मोदी द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उसके व डॉ०राजीव मोदी के हस्ताक्षर में है। पत्रावली पर कागज संख्या-11अ/1 है जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने पूछताछ कर उसके बयान अंकित किये थे।

15. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि जब उसने पोस्टमार्टम किया था तब मृतका के शरीर पर कुल 11 चोंटे पायी गयी थी। इन चोंटो में गर्दन की चोंट सबसे गंभीर थी जिसमें स्वांस नली कंजेस्टेड पायी गयी। आंतरिक चोंटे जिनमें एक से चार तक जो चोंटे थी वह जीवन के लिए घातक थी। चोंट नं. 04 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गला दबाकर चोट पहुँचायी जा सकती है। 18-30 घंटे के बीच मृत्यु होना संभव है। बाकी सभी चोंटे साधारण खुरचट थी। शरीर पर मृत्यु पश्चात के 04 फफोले पाये गये थे। चोंट नं. 04 अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो यह संभव नही कि वह अपने आप चोंट मार ले। चोंट नं. 04 हार्ड आब्जेक्ट से भी नही आ सकती है। डॉक्टर राजीव मोदी जो उसके साथ पोस्टमार्टम के समय थे उनके द्वारा ही हस्तलेख में यह रिपोर्ट तैयार की गयी थी। यह कहना गलत है कि यह चोंटे किसी के द्वारा बनायी गयी हो। यह कहना भी गलत है कि जब रिपोर्ट तैयार हुई थी तब वह, वहाँ पर मौजूद न हो। यह कहना भी गलत है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंटी टाइम तैयार की गयी हो।

16. अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्लू०-4 उपनिरीक्षक ताहिर अली** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "दिनांक 17.04.2014 को वह थाना जलेसर पर हेड कांस्टेबल लिपिक के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को वादी की तहरीर पर थानाध्यक्ष के मौखिक आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 219/14 धारा 498A, 304B भा०द०स० 3/4 दहेज एक्ट बनाम सतीश आदि के विरुद्ध चिक एफ.आई.आर शब्द व शब्द अपने हस्तलेख में अंकित की थी। चिक एफ.आई.आर की असल प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/1 लगायत व 4अ/2 मौजूद है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। उक्त मुकदमा जीडी कायमी में उसी दिनांक को रपट नं. 12 समय 6:30 पर किया था। जीडी कायमी की कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 10 अ/1 उसके लेख व हस्ताक्षर पर मौजूद है। जिसे वह अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है। समय अवधि अधिक हो जाने के कारण मूल जीडी नष्ट की जा चुकी है। जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। उक्त बावत विवेचक ने उसका बयान लिया।

17. बचाव पक्ष द्वारा जिरह नहीं की गयी अतः उनका जिरह का अवसर समाप्त किया गया।

18. अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्लू०-5 सेवानिवृत्त तहसीलदार सर्वरीश मिश्र** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "दिनांक 17/04/2014 को वह तहसील जलेसर पर तहसीलदार के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को एस.डी.एम. महोदय के आदेश पर सुबह के लगभग 7.40 बजे ग्राम करहल गया। वहाँ पर मृतका श्रीमती सुषमा पत्नी सतीश जाटव निवासी करहला धाना जलेसर एटा का पंचायतनामा करने गया था। वहाँ पर एस.एच.ओ. श्री घनश्याम सिंह मय पुलिस बल के मौजूद थे। मृतका का शव घर के सामने चौक में चारपाई पर मृत अवस्था में रखा था। उसने शव के पास मौजूद व्यक्तियों में से पंचान नियुक्त कर थाना जलेसर पर तैनात उपनिरीक्षक आर.पी. चौधरी को बोल-बोलकर पंचायतनामा भरवाया था। पंचों की राय व उसकी राय में मृतका श्रीमती सुषमा की मृत्यु शरीर पर आई चोटों के कारण हुई है तथा उसकी ससुराल में हुई

है। शव को पोस्टमॉर्टम हेतु सील सर्वे मोहर कर भेजवाने के लिए आरक्षी मय कां. अवनीश कुमार व योगेश कुमार को सुपुर्दगी में दिया गया। पंचायतनामा पत्रावली पर कागज संख्या 10अ/2 लगायत 3 लगायत 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा पंचों के हस्ताक्षर भी हैं तथा शव को जिन कां. को सुपुर्द किया था उनके भी हस्ताक्षर हैं। जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। चालान लाश पत्रावली पर कागज संख्या 10अ/9 है। जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। फोटो नाश पत्रावली पर कागज संख्या 10अ/10 है। जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया। पत्र सी.एम.ओ. पत्रावली पर कागज संख्या 10 अ/1 है। जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

19. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि करहला गाँव में वह सुबह लगभग 7.45 बजे पहुँचा था। उसके साथ ड्राइवर, दो होमगार्ड और अर्दली गए थे। मौके पर पहुँचने के बाद पंचायतनामा की कार्यवाही देखकर 10-15 मिनट बाद शुरू किया था। पंचायतनामा पर उसने अपने हस्ताक्षर किये और जो पंचान नियुक्त किए थे उनके हस्ताक्षर कराए थे और जिनको सुपुर्द किया था उनके भी हस्ताक्षर कराए थे। इस पंचायतनामा की प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे लगे थे।

20. अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्लू०-6 हेड कॉ० शिवपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि "उक्त मुकदमें के विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री डी.एस. गर्ब्याल को पैरालाइसिस हो गया है। वह चलने-फिरने व बोलने में असमर्थ है। वह उनके साथ थाना जलेसर पर दिनांक 17/04/2014 को बतौर सी.सी. तैनात था। उसने उनको लिखते-पढ़ते देखा है। वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। मुकदमा अपराध संख्या-259/14 धारा 498ए, 304बी भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री डी.एस. गर्ब्याल द्वारा की गई थी। उक्त मुकदमें की नक्शा-नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 6अ है, जो क्षेत्राधिकारी श्री डी.एस. गर्ब्याल के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क-9 डाला गया। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 3अ है जो

क्षेत्राधिकारी श्री डी.एस. गर्ब्याल के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क-10 डाला गया।

21. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि वह सी.ओ. साहब के ऑफिस में तैनात नहीं रहा बल्कि थाना जलेसर पर तैनात रहा। वह वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक थाना जलेसर पर तैनात रहा। इस घटना की विवेचना में वह सी.ओ. साहब के साथ शामिल नहीं रहा। वह घटनास्थल पर उनके साथ कभी नहीं गया था। सी.ओ. साहब ने विवेचना के दौरान किन-किन लोगों का बयान लिया था, उसे इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर मौजूद आरोप पत्र में सी.ओ. साहब डी.एस. गर्ब्याल के हस्ताक्षर है। सी.ओ. साहब का पूरा नाम उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वह सी.ओ. साहब के हस्ताक्षर नहीं पहचानता है। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है।"

22. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है। साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में कहा गया है कि द्वेष भावना से देना बताया गया। मुकदमा झूठा चलना बताया गया। सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया तथा अन्त में कुछ नहीं कहा है।

23. मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

24. इस दाण्डिक वाद में सर्वप्रथम् अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसे दर्ज कराने में हुए कथित विलम्ब का सूक्ष्म एवं गम्भीर विश्लेषण किया जाना न्यायहित में अत्यावश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अवलोकन से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक 16-04-2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन दिनांक 17-04-2014 को प्रातः 06:30 बजे थाना जलेसर, जिला एटा में

पंजीकृत कराई गई है। समय के इस अन्तराल को लेकर बचाव पक्ष द्वारा यह प्रबल कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से, सोच-विचार कर तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त दर्ज कराई गई है, जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। परन्तु, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्रता से अनुशीलन करने पर यह विदित होता है कि वादी मुकदमा थान सिंह का निवास स्थान घटनास्थल ग्राम करहला कासिमपुर से भिन्न है। अभियोजन साक्षियों, विशेषकर साक्षी पी०डब्लू०-1 श्रीमती ब्रह्मा देवी तथा साक्षी पी०डब्लू०-2 सुघड़ सिंह के साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उन्हें घटना की सूचना रात्रि लगभग 02:00 से 03:00 बजे के मध्य प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् वादी पक्ष के लोग एकत्रित हुए तथा वाहन (मैक्स पिकअप) की व्यवस्था कर घटनास्थल की ओर प्रस्थान किए। गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें लगभग डेढ़ घण्टे का समय लगा तथा वे प्रातः 04:30 बजे घटनास्थल पर पहुँचे। अपनी युवा पुत्री का शव क्षत-विक्षत एवं मृत अवस्था में देखकर किसी भी माता-पिता का मानसिक सन्तुलन एवं धैर्य तत्काल खो जाना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। ऐसे घोर मानसिक आघात एवं संत्रास की स्थिति में तत्काल पुलिस थाने की ओर भागना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। शव का अवलोकन करने, परिवारजनों एवं ग्रामवासियों से विचार-विमर्श करने तथा तदुपरान्त पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया में साढ़े सात घण्टे का समय व्यतीत होना किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित या अस्वाभाविक नहीं है। इस विधिक बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **State of U.P. v. Naresh, 2011 (3) SCC 151** में यह स्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Delay in lodging the FIR cannot be a ground to doubt the prosecution case if the same is properly explained. The Court must consider the trauma, the distance to the police station, and the circumstances surrounding the informant before discarding the FIR on the sole ground of delay."अतः, इस न्यायालय के सुविचारित निष्कर्ष में प्रथम

सूचना रिपोर्ट में कोई तात्विक या अकारण विलम्ब नहीं है, तथा जो भी आंशिक समय व्यतीत हुआ है, उसका अभियोजन पक्ष द्वारा सन्तोषजनक एवं विधिक रूप से ग्राह्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता पर केवल इस आधार पर सन्देह नहीं किया जा सकता।

25. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य की साक्षी पी०डब्लू०-1 श्रीमती ब्रह्मा देवी, जो कि मृतका की माता है, के साक्ष्य का मूल्यांकन विधिक सिद्धान्तों के आलोक में किया जाना आवश्यक है। पी०डब्लू०-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री सुषमा का विवाह दिनांक 21/06/2008 को अभियुक्त सतीश के साथ हिन्दु रीति रिवाज से सम्पन्न किया था। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि "शादी के कुछ समय बाद से ही सुषमा का पति सतीश, ससुर राजाराम और सास नेकवती अतिरिक्त दहेज में मोटर साईकिल व एक लाख रुपये की माँग को लेकर सुषमा को तंग व परेशान करते थे।"इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब भी मृतका घर आती थी, वह प्रताड़ना की बात बताती थी। बचाव पक्ष द्वारा की गई विस्तृत जिरह में साक्षी पी०डब्लू०-1 ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इस दहेज माँग की कोई लिखित या मौखिक शिकायत पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी से कभी नहीं की थी, क्योंकि वे विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे। जिरह में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त सतीश गांजा व चरस का आदि हो गया था और इस आदत के कारण उसने अपना घर तोड़ दिया था। जिरह के दौरान साक्षी पी०डब्लू०-1 की गवाही में घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुँचने, शव को देखने तथा पुलिस की कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ आंशिक विसंगतियाँ अवश्य दृष्टिगोचर होती हैं, परन्तु ये विसंगतियाँ नैसर्गिक हैं जो समय व्यतीत होने एवं साक्षी के अशिक्षित होने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। यह एक सर्वमान्य विधिक सिद्धान्त है कि किसी भी साक्षी का साक्ष्य सम्पूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए। पी०डब्लू०-1 एक सम्बद्ध साक्षी अवश्य है, परन्तु केवल इस आधार पर उसके साक्ष्य को क्षीण नहीं माना जा सकता। सम्बद्ध साक्षी का साक्ष्य यदि स्वाभाविक और विश्वसनीय है, तो

वह पूर्णतः ग्राह्य है। Goverdhan vs state of chattisgarh (2025)3 SCC378 (Para108) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि- "The testimony of a witness in a criminal trial cannot be discarded merely because the witness is a relative or family member of the victim of the offence. In such a case, court has to adopt a careful approach in analyzing the evidence of such witness and if the testimony of the related witness is otherwise found credible accused can be convicted on the basis of testimony of such related witness." पी०डब्लू०-1 के साक्ष्य से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि मृतका का विवाह अभियुक्त सतीश से हुआ था तथा मृत्यु के समय वह अपनी ससुराल में निवास कर रही थी।

26. अभियोजन के द्वितीय महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्लू०-2 सुघड़ सिंह, जो कि मृतका के चाचा हैं, के साक्ष्य का अनुशीलन भी अत्यन्त प्रासंगिक है। साक्षी पी०डब्लू०-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू०-1 के कथन की पूर्णतः पुष्टि की है तथा यह कथन किया है कि "शादी के कुछ समय के बाद से ही उसकी भतीजी सुषमा को उसका पति सतीश उर्फ जीतू, सास नेकवाती व ससुर राजाराम अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल व एक लाख रुपये की मांग को लेकर विभिन्न प्रकार से तंग व परेशान करने लगे थे।"साक्षी ने घटनास्थल पर पहुँचने एवं मृतका का शव आँगन में चारपाई पर पड़े होने का तथ्य प्रमाणित किया है। साक्षी ने पंचायतनामा प्रदर्श क-5 पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है तथा वादी मुकदमा (मृतक थान सिंह) द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष द्वारा जिरह में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वे सूचना मिलने पर रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुँच गए थे। साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि जब वे मौके पर पहुँचे तो सतीश की माँ मौके पर मिली थी, परन्तु सतीश (पति) मौके पर नहीं मिला था। साक्षी पी०डब्लू०-2 का साक्ष्य भी अपनी मूल भावना में सुसंगत है तथा

अभियोजन कथानक को बल प्रदान करता है। यद्यपि पी०डब्लू०-1 एवं पी०डब्लू०-2 घटना के प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, तथापि घटना से पूर्व की परिस्थितियों, घटनास्थल की स्थिति एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में उनका साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय है। बचाव पक्ष इन साक्षियों के साक्ष्य में कोई ऐसी तात्विक त्रुटि या विरोधाभास उजागर करने में पूर्णतः विफल रहा है जो अभियोजन कथानक की जड़ को संदेहास्पद बनाता हो।

27. इस प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन कथानक का सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०-3 डॉ० नरेश सिंह तोमर को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने मृतका का शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) किया था। पी०डब्लू०-3 द्वारा प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-2 एवं उनके न्यायालयीन साक्ष्य का मूल्यांकन घटना की प्रकृति एवं मृत्यु के कारण को निर्धारित करने हेतु परमावश्यक है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व एवं मृत्यु पश्चात् की कुल 11 चोटें पाई गईं तथा गर्दन की फेशिया की पर्त पर खून के थक्के मौजूद थे एवं हाइड हड्डी टूटी हुई थी। इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

I. **चोट नं-01** खुरचट 1cmX1cm जो चेहरे के बाँयी आँख से 3cm नीचे थी।

II. **चोटे नं०-02** खुरचट 2cmx2cm जो कि ठोडी में बाँयी ओर थी।

III. **चोट नं०-03** मृत्यु पश्चात का फफोला 2cmx2 cm जो कि गर्दन के बाँयी ओर सामने की तरफ था।

IV. **चोट नं०-4** खुरचट 3cmx2 cm जो कि बाँयी घुटने पर था।

V. **चोट नं०-05** मृत्यु पश्चात का फफोला 3cm x 2cm जो बाँये पैर पर बाँयी घुटने से 2-1/2 cm नीचे था।

VI. **चोट नं०-6** मृत्यु पूर्व जलने के निशान व फफोले जो कि बिन्दुओं के तरह थे, जो कि बाँयी पैर पर बाँयी घुटने से 10cm नीचे थे।

VII. **चोट नं०-7** खुरचट 3cmx2cm जो दाहिने घुटने पर थे।

VIII. **चोट नं०-8** खुरचट 2x2cm जो दाहिनी कलाई से 2-1/2 cm से नीचे थी।

IX. **चोट नं०-9** मृत्यु पश्चात का फफोला 1.5cm x 1.5 cm जो बाँये हाथ के पृष्ठ भाग पर था।

X. **चोट नं०-10** मृत्यु पूर्व का फफोला 1cmx1cm जो बाँयी हाथ के पृष्ठ भाग पर जो चोट नं०-9 पर लगा था।

XI. **चोट नं०-11** चोट खुरचट 1cmx1cm जो कि दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर थे।

अन्दरूनी चोटेः-

1-गर्दन सिरायें कंजेस्टेड थी और त्वचा के नीचे रक्त मौजूद था।

2-गर्दन की फेशिया की पर्त पर खून के थक्के मौजूद थे।

3- श्वास नली कंजस्टेड थी।

4- हाइड हड्डी टूटी हुई थी। नाखून साइनूल्ड थे पी०डब्लू०-3 ने यह स्पष्ट अभिमत दिया है कि मृत्यु का कारण गला दबाने से होना सम्भव है तथा मृत्यु का समय परीक्षण से लगभग 24 घण्टे पूर्व का है। जिरह में साक्षी ने यह प्रबलता से कथन किया है कि "आंतरिक चोंटे जिनमें एक से चार तक जो चोंटे थी वह जीवन के लिए घातक थी। चोंट नं. 04 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गला दबाकर चोट पहुँचायी जा सकती है... हाइड हड्डी टूटी हुई थी।"यह स्थापित विधिक तथ्य है कि हाइड हड्डी का टूटना प्रत्यक्ष रूप से बाह्य बल द्वारा गला दबाए जाने का अकाटय प्रमाण है। इस सन्दर्भ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **Fahad v. State of U. P., 2018 (6) ALJ 737** में यह धारित किया गया है कि "Medico legal report assists Court in formulating opinion in regard to manner in which incident might have taken place and what penal provision to invoke. It can either endorse incident as given by eye-witnesses or can disprove incident to great extent."इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Gajoo v. State of Uttarakhand, 2012 (9) SCC 532** में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Fracture of hyoid bone is a strong indicator of

strangulation or throttling rather than hanging."अतः पी०डब्लू०-3 का साक्ष्य पूर्णतः वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय है जो इस तथ्य को निर्विवाद रूप से सिद्ध करता है कि मृतका की मृत्यु प्राकृतिक न होकर पूर्णतः मानव-वध है।

28. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत औपचारिक साक्षियों, यथा पी०डब्लू०-4 उपनिरीक्षक ताहिर अली,पी०डब्लू०-5 सेवानिवृत्त तहसीलदार सर्वरीश मिश्र,एवं पी०डब्लू०-6 हेड कॉ० शिवपाल सिंह के साक्ष्य का अनुशीलन भी प्रासंगिक है। पी०डब्लू०-4 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) एवं जी०डी० (प्रदर्श क-4) को विधिक रूप से प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से कोई जिरह नहीं की है, जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट के विधिक पंजीकरण का तथ्य निर्विवाद सिद्ध होता है। पी०डब्लू०-5 ने पंचायतनामा (प्रदर्श क-5) एवं अन्य प्रपत्रों (प्रदर्श क-6,क-7,क-8) को प्रमाणित किया है तथा स्पष्ट कथन किया है कि उनके समक्ष शव का पंचायतनामा भरा गया था तथा पंचों की राय में मृत्यु शरीर पर आई चोटों के कारण हुई थी। पी०डब्लू०-6 ने विवेचक डी०एस० गर्ब्याल के अस्वस्थ होने के कारण उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर पहचानते हुए नक्शानजरी (प्रदर्श क-9) एवं आरोप पत्र (प्रदर्श क-10) को प्रमाणित किया है। इन समस्त साक्षियों के साक्ष्य में कोई विसंगति होना नहीं पाया जाता है तथा अभियोजन की विवेचनात्मक कार्यवाही को विधिक रूप से सुदृढ़ करता है।

29. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि अभियोजन के पास घटना का कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, तथापि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य मिलकर एक ऐसा सुदृढ़ जाल बुनते हैं जो घटना के सत्य को उजागर करता है। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो इस बात का द्योतक है कि अभियुक्तगण के पास अपने बचाव में कहने के लिए कोई स्वतन्त्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्य के साक्षियों से जिरह के समय यह सुझाव दिया गया है कि घटना वाली रात को बदमाश घर में घुस

आये हो और लड़की के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी हो। जब धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण के बयान लेखबद्ध किये गये तब उनके द्वारा अपने बयानों में रात को बदमाशों के घर में घुसकर लड़की के विरोध करने पर उसकी हत्या कर देने का कोई कथन नहीं किया गया है बल्कि गवाहों द्वारा द्वेष भावना से गलत साक्ष्य देने का कथन किया गया है। अपने धारा 313 द0प्र0सं0 के बयानों में अभियुक्तगण ने मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुयी इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है जबकि मृतका की जब मृत्यु हुयी उस समय वह अपने ससुराल में थी तथा उसकी मृत्यु का कारण अभियुक्तगण की जानकारी में न हो ऐसा असंभव है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में जो भी आंशिक विरोधाभास दृष्टिगोचर हुए हैं, वे अत्यन्त सामान्य प्रकृति के हैं और घटना के मुख्य कथानक को किसी भी प्रकार से संदेहास्पद नहीं बनाते हैं।

30. घटना की तिथि एवं समय के बिन्दु पर अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) में वादी द्वारा स्पष्ट रूप से घटना का समय दिनांक 16-04-2014 की रात्रि 11:00 बजे अंकित किया गया है। पी०डब्लू०-1 एवं पी०डब्लू०-2 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उन्हें मृत्यु की सूचना उसी रात्रि को लगभग 02:00 से 03:00 बजे के मध्य प्राप्त हुई थी। पी०डब्लू०-3 डॉ० नरेश सिंह तोमर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय परीक्षण से लगभग 24 घण्टे पूर्व होना सम्भव बताया है। चूँकि शव परीक्षण दिनांक 17-04-2014 को अपराह्न में किया गया था, अतः चिकित्सीय साक्ष्य पूर्णतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित समय रात्रि 11:00 बजे से मेल खाता है। बचाव पक्ष द्वारा इस समय खण्डन हेतु कोई भी विधिक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि घटना दिनांक 16-04-2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे घटित हुई थी।

31. घटनास्थल के सन्दर्भ में साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह पूर्णतः स्थापित होता है कि अपराध अभियुक्त सतीश के आवासीय मकान के भीतर कारित किया गया। पी०डब्लू०-1 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वे सुबह

लड़की के घर पहुँचे तो "उस समय लड़की रसोई के पास जमीन पर पड़ी थी। रसोई घर के अंदर थी।" पी०डब्लू०-2 ने भी कथन किया है कि "उसकी लाश आंगन में चारपाई पर पड़ी थी।"विवेचक द्वारा तैयार किए गए नक्शानजरी (प्रदर्श क-9) से भी घटनास्थल अभियुक्त का मकान ही प्रदर्शित होता है। पंचायतनामा (प्रदर्श क-5) की कार्यवाही भी उसी मकान पर सम्पन्न की गई थी। बचाव पक्ष ने सम्पूर्ण विचारण के दौरान घटनास्थल के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया है। अतः, यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है कि अपराध ग्राम करहला कासिमपुर स्थित अभियुक्त सतीश के आवासीय भवन के भीतर कारित किया गया है।

32. घटना के समय घटनास्थल पर अभियुक्तगण एवं मृतका की उपस्थिति का बिन्दु इस वाद का एक निर्णायक पहलू है। मृतका सुषमा का अभियुक्त सतीश की वैधानिक पत्नी होना तथा उसी घर में निवास करना साक्ष्यों द्वारा निर्विवाद रूप से सिद्ध है। पी०डब्लू०-2 ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वे मौके पर पहुँचे तो "सतीश की मां मौके पर मिली थी सतीश नहीं मिला था।"यह स्थापित तथ्य है कि घटना रात्रि के समय 11:00 बजे अभियुक्त के अपने घर की चारदीवारी के भीतर घटित हुई। सामान्य मानवीय आचरण के अनुसार, रात्रि के उस प्रहर में पति-पत्नी एक ही छत के नीचे उपस्थित रहते हैं। यदि अभियुक्त सतीश उस समय घर पर उपस्थित नहीं था, तो यह तथ्य विशेष रूप से उसके ज्ञान में था तथा उसे धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के अन्तर्गत इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि वह उस रात्रि कहाँ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 यह प्रावधानित करती है कि "When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him."माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **State of Rajasthan v. Kashi Ram, 2006 (12) SCC 254** में यह विधिक सिद्धान्त स्पष्ट किया है कि "If the accused fails to offer an explanation on the basis of facts within his special knowledge, he fails to discharge the burden cast upon him by Section

106 of the Evidence Act... It provides an additional link in the chain of circumstances."अभियुक्त सतीश ने अपने बयान में केवल 'इन्कार'किया है तथा घटना के समय अपनी अनुपस्थिति का कोई बचाव नहीं लिया है। अतः यह विधिक रूप से उपधारित किया जाता है कि घटना के समय अभियुक्त सतीश अपनी पत्नी मृतका सुषमा के साथ उसी घर में उपस्थित था।

33. चिकित्सीय साक्ष्य एवं कारित चोटों के मध्य विधिक सम्बन्ध का विश्लेषण अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता हेतु अत्यन्त आवश्यक है। पी०डब्लू०-3 द्वारा प्रमाणित चोटों की प्रकृति (चेहरे, ठोड़ी, घुटने एवं कलाई पर खुरचट) से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु से पूर्व मृतका ने अपने प्राण बचाने हेतु संघर्ष किया था। गर्दन पर रक्त का जमाव एवं हाइड हड्डी का टूटना इस तथ्य को अकाट्य रूप से प्रमाणित करता है कि मृतका का गला अत्यधिक क्रूरता एवं बलपूर्वक दबाया गया था। यह चोटें किसी भी स्थिति में दुर्घटनात्मक या आत्महत्या की प्रकृति की नहीं हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति भी स्वयं अपना गला इतनी शक्ति से नहीं दबा सकता कि उसकी हाइड हड्डी टूट जाए, जैसा कि पी०डब्लू०-3 ने जिरह में स्पष्ट किया है। अतः, यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि ये चोटें सप्रयास एवं आशयपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गई हैं, और इस कृत्य का सीधा सम्बन्ध मृतका की हत्या से है।

34. इस जघन्य अपराध के पीछे अभियुक्त के हेतुक एवं आशय का विधिक विश्लेषण किया जाना भी आवश्यक है। यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य या पुख्ता परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में हेतुक का सिद्ध होना अनिवार्य नहीं है, तथापि अभियोजन ने स्पष्ट रूप से मोटर साइकिल एवं एक लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की माँग को हेतुक के रूप में प्रस्तुत किया है। पी०डब्लू०-1 ने जिरह में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित किया है कि अभियुक्त सतीश "गांजा व चरस का आदि हो गया था और इस आदत के कारण उसने अपना घर तोड़ दिया था।"नशे की लत में लिप्त व्यक्ति द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं या नशे की पूर्ति हेतु अपनी पत्नी को प्रताड़ित

करना एवं मायके से धन लाने हेतु विवश करना एक स्वाभाविक एवं प्रबल हेतुक प्रतीत होता है। जहाँ तक आशय का प्रश्न है, किसी व्यक्ति का गला इतनी शक्ति से दबाना कि उसकी गर्दन की सिरायें कंजेस्टेड हो जाएँ, खून के थक्के जम जाएँ और हाइड हड्डी टूट जाए, यह स्पष्ट रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अन्तर्गत "मृत्यु कारित करने के आशय" को ही परिलक्षित करता है। ऐसे कृत्य में किसी अन्य क्षीण आशय की परिकल्पना भी विधिक रूप से सम्भव नहीं है।

35. चूँकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में कोई प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, अतः यह सम्पूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य की परिधि में आता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Bodhraj v. State of J&K, 2002 (8) SCC 45** में कुछ मूलभूत विधिक सिद्धान्त स्थापित किए गए हैं, जिन्हें 'पंचशील'सिद्धान्त भी कहा जाता है। इसके अनुसार- (i) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष सिद्ध किया जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। (ii) वे तथ्य जो स्थापित हुए हैं, वे केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना से ही सुसंगत होने चाहिए। (iii) परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। (iv) वे किसी अन्य परिकल्पना को पूर्णतः बहिष्कृत करनी चाहिए। (v) साक्ष्यों की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता का कोई भी तार्किक आधार न बचे। वर्तमान वाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला इस प्रकार है:-(अ) मृतका सुषमा का विवाह अभियुक्त सतीश से होना एवं उसका अपनी ससुराल में निवास करना। (ब) अभियुक्त सतीश का नशे का आदी होना तथा आर्थिक आवश्यकताओं हेतु दबाव बनाना। (स) घटना की रात्रि मृतका का अपने पति (अभियुक्त सतीश) के साथ उसके घर में उपस्थित होना। (द) मृतका का शव अभियुक्त के घर के भीतर आँगन/रसोई के पास मृत अवस्था में पाया जाना। (य) चिकित्सीय साक्ष्य से मृतका की मृत्यु गला घोंटने से मानव-वध होना प्रमाणित होना। (र) घटना के पश्चात् अभियुक्त सतीश का मौके से फरार हो जाना। (ल) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियुक्त सतीश द्वारा कोई स्पष्टीकरण न देना तथा

केवल मिथ्या इन्कार करना। यह समस्त परिस्थितियाँ एक ऐसी अटूट शृंखला का निर्माण करती हैं जो पूर्णतः अभियुक्त सतीश के अपराध को इंगित करती हैं और उसकी निर्दोषिता की किसी भी अन्य तार्किक सम्भावना को पूर्णतः निर्मूल सिद्ध करती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Trimukh Maroti Kirkan v. State of Maharashtra, 2006 (10) SCC 681** में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Where an offence like murder is committed in secrecy inside a house, the initial burden to establish the case would undoubtedly be upon the prosecution, but the nature and amount of evidence to be led by it to establish the charge cannot be of the same degree as is required in other cases of circumstantial evidence.The burden would be of a comparatively lighter character."इस विधिक व्यवस्था के प्रकाश में, अभियोजन ने अपना भार पूर्णतः निर्वहन किया है।

36. उपरोक्त विस्तृत एवं सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर, अभियोजन साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य प्रमाणित होते हैं कि-

I. मृतका सुषमा का विवाह अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू के साथ दिनांक 21/06/2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। यह तथ्य पी०डब्लू०-1 एवं पी०डब्लू०-2 के साक्ष्य से अकाट्य रूप से प्रमाणित है तथा बचाव पक्ष द्वारा इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है।

II. घटना दिनांक 16/04/2014 को मृतका सुषमा अभियुक्त सतीश के आवासीय भवन, ग्राम करहला कासिमपुर में ही निवास कर रही थी और घटना उसी रात्रि लगभग 11:00 बजे घर के भीतर घटित हुई।

III. मृतका सुषमा की मृत्यु एक मानव-वध थी, जो उसका गला अत्यधिक बलपूर्वक दबाकर कारित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हाइड हड्डी टूट गई थी। यह तथ्य पी०डब्लू०-3 के चिकित्सीय साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निर्विवाद रूप से सिद्ध है।

IV. घटना के समय अभियुक्त सतीश अपनी पत्नी (मृतका) के साथ उसी घर में उपस्थित था और घटना कारित करने के पश्चात् वह मौके से फरार हो गया, जिसे पी०डब्लू०-2 ने भी अपने साक्ष्य में प्रमाणित किया है कि जब वे मौके पर पहुँचे तो सतीश वहाँ नहीं था।

V. अभियुक्त सतीश ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयान में इन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का कोई युक्तिसंगत विधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जो स्वयं में अपराध की ओर इंगित करने वाली एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त कड़ी है।

37. इसके विपरीत, जो तथ्य अभियोजन द्वारा सन्देह से परे प्रमाणित नहीं किए जा सके हैं, उनका विधिक विश्लेषण भी न्याय के दृष्टिकोण से परमावश्यक है। अभियोजन ने अभियुक्तगण सतीश एवं श्रीमती नेकवती पर धारा 498ए तथा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित कराए हैं। धारा 304 बी के आवश्यक विधिक तत्वों में से एक प्रमुख तत्व यह है कि "मृत्यु से ठीक पूर्व स्त्री के साथ उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की माँग को लेकर क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो।"पी०डब्लू०-1 श्रीमती ब्रह्मा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दहेज की माँग का साधारण उल्लेख अवश्य किया है, परन्तु जिरह में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि "उसने व उसके घर वालों ने सतीश व उसके घर वालों के द्वारा की जा रही अतिरिक्त दहेज की माँग की शिकायत कहीं नही की थी। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०-1 श्रीमती ब्रह्मा देवी तथा पी०डब्लू०-2 सुघड़ सिंह द्वारा इसप्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मृत्यु से ठीक पहले महिला के साथ पति या रिश्तेदारों के द्वारा दहेज को लेकर क्रूरता या प्रताड़ित किया गया हो "बल्कि, पी०डब्लू०-1 ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त सतीश गांजा व चरस का आदी था और इसी कारण उसने अपना घर तोड़ दिया था। इस साक्ष्य से यह निष्कर्ष विधिक रूप से निकलता है कि अभियुक्त सतीश द्वारा मृतका को जो भी कष्ट या प्रताड़ना दी जा रही थी,उसका मुख्य कारण सम्भवतः उसकी नशे की लत और उससे उत्पन्न आर्थिक विपन्नता थी,न कि विवाह के 6-7 वर्ष

पश्चात् एक लाख रुपये और मोटर साइकिल के 'दहेज'की कोई विशिष्ट माँग। दहेज हत्या की उपधारणा आकर्षित करने हेतु 'मृत्यु से ठीक पूर्व'की क्रूरता का कोई सुस्पष्ट एवं स्वतन्त्र साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्ता श्रीमती नेकवती (सास) जो कि एक वृद्धा महिला हैं, के विरुद्ध केवल सामान्य प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं। सम्पूर्ण साक्ष्य में उनका कोई विशिष्ट कृत्य या घटना की रात्रि हत्या में उनकी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है। पी०डब्लू०-2 के साक्ष्य के अनुसार, जब वे मौके पर पहुँचे तो श्रीमती नेकवती मौके पर ही उपस्थित मिलीं और भागी नहीं। एक हत्यारी सास का शव के पास निर्भीक बैठे रहना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। अतः अभियोजन धारा 498 ए और 304 बी भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माने जा सकते।

38. आरोपों एवं साक्ष्यों की विधिक सम्बद्धता का गहन विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण पर धारा 498 ए,304 बी भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक रूप से धारा 302/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए थे। जैसा कि पूर्व में विश्लेषण किया जा चुका है, पर धारा 498 ए तथा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (दहेज हत्या) के आवश्यक तत्व अभियोजन साक्ष्य से निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं होते हैं। जहाँ तक अभियुक्ता श्रीमती नेकवती का प्रश्न है, उनके विरुद्ध न तो दहेज उत्पीड़न का कोई विशिष्ट साक्ष्य है और न ही धारा 302/34 (सामान्य आशय से हत्या) के अन्तर्गत उनकी कोई संलिप्तता प्रमाणित होती है। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि सन्देह का लाभ सदैव अभियुक्त को प्राप्त होता है। अतः, श्रीमती नेकवती को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

39. परन्तु, मुख्य अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू के प्रकरण में स्थिति पूर्णतः भिन्न है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दोषसिद्धि हेतु यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने ही मृत्यु कारित करने के आशय से वह कृत्य किया है। यद्यपि दहेज हत्या (304B) का आरोप तकनीकी विधिक कारणों से सिद्ध नहीं हो सका, परन्तु वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा०दं०सं० के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्णतः सुदृढ़ है। अभियुक्त सतीश अपनी पत्नी के साथ अपने घर में था। उसकी पत्नी की उसी घर में गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार इस तथ्य का भार सतीश पर था कि वह बताए कि उसकी पत्नी की हत्या किसने और किन परिस्थितियों में की। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह मौके से फरार हो गया। चिकित्सीय साक्ष्य हत्या की पुष्टि करता है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की वह अटूट श्रृंखला है जो केवल और केवल अभियुक्त सतीश को ही हत्या का दोषी प्रमाणित करती है। अतः, अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सन्देह के किसी भी लेशमात्र के बिना पूर्णतः प्रमाणित पाया जाता है।

40. उपरोक्त समस्त विस्तृत विधिक विश्लेषण, साक्ष्यों के सूक्ष्म मूल्यांकन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्थापित विधिक सिद्धान्तों के प्रकाश में, यह न्यायालय इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्ता श्रीमती नेकवती पत्नी राजाराम के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप धारा 498ए,304 बी भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक धारा 302/34 भा०दं०सं० को सन्देह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। तदनुसार, अभियुक्ता श्रीमती नेकवती सन्देह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

41. अभियोजन पक्ष मुख्य अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू पुत्र राजाराम के विरुद्ध यद्यपि धारा 498ए, 304 बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों को पूर्णतः सिद्ध नहीं कर सका है, परन्तु वैकल्पिक रूप से लगाए गए धारा 302

भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की अटूट श्रृंखला एवं धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधिक सिद्धान्तों के आधार पर सन्देह से परे पूर्णतः एवं निर्विवाद रूप से सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

42. उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आधार पर, अभियुक्ता श्रीमती नेकवती पत्नी राजाराम निवासी करहला थाना जलेसर,एटा को थाना जलेसर के मु०अ०सं० 219/2014 से सम्बन्धित धारा 498ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302/34 भा०दं०सं० के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

43. अभियुक्ता जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

44. अभियुक्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 437-ए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के अनुपालन में, इस दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील या अपील करने की इजाजत के लिए याचिका दायर होने की स्थिति में उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति हेतु, इस न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार मु0 20,000/-रूपये (बीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराश के दो प्रतिभू प्रस्तुत करें।

45. उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आधार पर, अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू पुत्र राजाराम निवासी करहला थाना जलेसर, एटा को थाना जलेसर के मु०अ०सं० 219/2014 से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपराध हेतु **दोषसिद्ध** किया जाता है।

46. अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू को धारा 498ए, 304 बी भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

47. अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू न्यायिक हिरासत में है जो जिला कारागार, एटा से न्यायालय में उपस्थित है। दोषसिद्ध अभियुक्त को दण्डादेश के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली आज ही भोजनावकाश के पश्चात् प्रस्तुत हो।

दिनांक-15.06.2026 (मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं०-01,
एटा

दण्डादेश पर सुनवाई एवं आदेश

48. दोषसिद्ध **अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू** को आज दण्डादेश के बिन्दु पर सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अपनी ही पत्नी की उसके ही घर के भीतर गला दबाकर अत्यन्त क्रूरतापूर्वक एवं निर्ममता से हत्या की है। यह समाज के प्रति एक गम्भीर एवं नृशंस अपराध है जो समाज में भय व्याप्त करता है। अतः, अभियोजन ने अभियुक्त को विधि में विहित कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की है।

49. दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं स्वयं अभियुक्त ने न्यायालय से क्षमादान एवं उदारता की याचना करते हुए यह कथन किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, वह किसी पूर्व आपराधिक इतिहास से लिप्त नहीं है। उसके परिवार में वृद्ध माता हैं जो उस पर पूर्णतः आश्रित हैं। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति अत्यन्त क्षीण है। अतः, दण्डादेश में उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने की प्रार्थना की गई है।

50. दण्डादेश निर्धारित करने की प्रक्रिया में न्यायालय को अपराध की गम्भीरता, अभियुक्त की पृष्ठभूमि, समाज में प्रतिरोध उत्पन्न करने की आवश्यकता तथा न्याय के उद्देश्यों के मध्य एक समुचित विधिक सन्तुलन स्थापित करना होता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Raj Kumar v. State of U.P., 2014 (1) ALJ 321** में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हत्या के प्रकरणों में आजीवन कारावास एक सामान्य विधिक नियम है तथा मृत्युदण्ड केवल विरल से विरलतम

प्रकरणों में ही दिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण यद्यपि एक नृशंस हत्या का है, तथापि यह विरल से विरलतम प्रकरणों की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अपराध की प्रकृति एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के समग्र विचारोपरान्त, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू को निम्नलिखित दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सर्वथा समुचित एवं पर्याप्त होगा।

<u>दण्डादेश</u>

51. दोषसिद्ध अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू पुत्र राजाराम निवासी करहला थाना जलेसर, एटा, जो मु०अ०सं० 219/2014, थाना जलेसर से सम्बन्धित है, को एतद्द्वारा निम्नवत् दण्डित किया जाता है:

52. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अपराध हेतु: अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा भुगतने तथा मु0-50,000 (पचास हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि अदा न करने के व्यतिक्रम की स्थिति में,दोषसिद्ध अभियुक्त 02 (दो) वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

53. अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि में से मु0 45,000 रूपये (पैंतालीस हजार रुपये) मृतका की माँ ब्रह्मादेवी को अदा की जायेगी।

54. दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा विवेचना, जाँच या विचारण के दौरान पूर्व में बिताई गई निरुद्धि की अवधि को, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 के प्राविधानानुसार, उसके द्वारा भुगते जाने वाले कारावास की मूल अवधि में से समायोजित किया जाएगा।

55. विचारण के दौरान दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

56. चूंकि अभियुक्त पहले से ही अभिरक्षा में हैं,अतः उसका दण्डादेश वारण्ट तैयार कर सम्बन्धित जेल अधीक्षक को प्रेषित किया जाए।

57. इस निर्णय एवं दण्डादेश की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू को तत्काल निः शुल्क उपलब्ध कराई जाए।

58. इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी,एटा को भी सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

59. दोषसिद्ध अभियुक्त सतीश उर्फ जीतू को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उसे इस दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध सक्षम उच्चतर न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। वह ऐसी अपील प्रस्तुत करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का भी पूर्ण अधिकार रखता है।

दिनांक: 15.06.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, एटा।

यह दंडादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 15.06.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, एटा।